

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदा कामगार के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि        | आश्रित का नाम( संबंध )     | जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता  | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि       | मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|----------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 1        | 2  | 3                          | 4  | 5  | 6                          | 7                                 | 8                            | 9   |
| 1        | स्व० मो० बसीर, 55, स्व० अब्दुल हमीद, 50 पि० जाति | श्रीमती नाजमा खातुन(पत्नी) | 786/17.<br>11.18                           | ग्रा०-कटरा पर अखाड़ मोड़, पो०+ था०-बिहारशरीफ, नालंदा | 4861182<br>1000331<br>8    | बैंक ऑफ इंडिया, BKID0004861       | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, बैंड बाजा में कामगार मजदूर  |

कुल :- ₹ 30000/-  
( तीस हजार रूपए )

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति व. बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-37/2018 के पृष्ठ-20/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रितों को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-37/2018-392

पटना, दिनांक :-14-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।